



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक-16.02.2024

"ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप भ्रष्टाचार के मुकदमे से संबंधित अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास व 10,000/- रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु०अ०सं०-0334/2018 धारा 7, 13(1)-D व 13(2) पी०सी० एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अजीत कुमार पुत्र स्व० बुद्धिराम प्रसाद निवासी-मवई कला, थाना-मुगलसराय कोतवाली, जनपद-चंदौली (सम्प्रति राजस्व निरीक्षक तहसील सदर वाराणसी रिटा०) को प्रभारी निरीक्षक सारनाथ व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एसीसी-III, जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अन्तर्गत धारा 7 भ्र०नि०अधि० के अपराध के लिए 03 वर्ष के कारावास व 10,000/- रू० के अर्थदण्ड से दंडित किया गया तथा धारा 13(1)-D सहपठित धारा 13(2) भ्र०नि०अधि० के आरोप से दोषमुक्त किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी